uxj ifj"kn gehjiij] ftyk gehjiij] fgekpy iin'k d y[kkvk dk vid{k.k ,o fujh{k.k ifronuA

vof/k 04@2009 l 03@2011

Hkkx&,d

iijk 1 ¼d½ ikjfEHkd %&

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिषों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संषोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद हमीरपुर, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

vid{k.kk/khu vof/k d nkjku fuEuof.kr v/;{k o dk;ldkjh vf/kdkjh uxj ifj"kn gehjiij e rukr Fk %&

v/;{k %&

Øe la[;k	i/kku dk uke	rukrh dh vof/k
1	श्री दीप कुमार	01.04.2009 से आज तक

dk;ldkjh vf/kdkjh %&

Øe la[;k	i/kku dk uke	rukrh dh vof/k
1	श्री वी0के0 शर्मा	01.04.2009 से आज तक

¼[k½ uxj ifj"kn gehjiij] ftyk gehjiij fgekpy iin'k d y[kkvk vof/k 01-04-2009 l 31-03-2011 rd vid{k.k e ikbl xbl vfu;ferrkvk dk lf{klr lkjA

Øe la[;k	iijk la[;k	vfu;ferrkvk dk lf{klr lkj	jkf'k ¼₹½ yk[kk e
1	पैरा 3.2.2	अनुदान की राषि का उपयोग न करना।	0.67
2	पैरा 4	गृहकर एवं भवनों के किराये की वसूली न करना।	118.46
3	पैरा 4.3	दुकानों एवं स्टालों के किराए की वसूली न करना।	31.53
4	पैरा 4.7	भवनों के निर्माण हेतु निर्धारित मानचित्र शुल्क की कम वसूली।	0.10
5	पैरा 4.10	मोबाईल कम्पनियों से मोबाईल टावर स्थापना एवं	0.75

		नवीनीकरण शुल्क की वसूली शेष	
6	पैरा 8	बिना निविदाएं आमन्त्रित किए वास्तुकार को अनियमित भुगतान।	0.62
7	पैरा 11	बोर्डों वा पोस्टरों की छपाई पर अनियमित भुगतान।	1.11
8	पैरा 15	निर्माण कार्य के लिए दिए गए अग्रिम राषि का अन्तिम कार्य बिल से वूसली न करना।	0.50
9	पैरा 19	संविदाकार को अधिक भुगतान।	0.10
10	पैरा 21	संविदाकार से राषि लाख की कटौती न करना	0.21

¼x½ <u>xr vd{k.k ifronu</u> %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''अ'' पर दर्षाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विषेष अभियान/कार्यवाही सुनिष्चित करे व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करे ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

Hkkx&nks

1 orZeku vads{k.k %&

नगर परिषद के लेखाओं अवधि 04/2009 से 03/2011 तक का अंकेक्षण श्री अजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी व श्री विद्या सागर कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 12.07.2011 से 20.09.2011 तक हमीरपुर में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया। जिसके परिणामों को अनुवर्ती पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

o"kZ	vk;	O;;
2009—10	02/2010	07/2009
2010—11	03/2011	03/2011

अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण एवं वित्तीय स्थिति को नगर परिषद हमीरपुर के कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवायी गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है कि जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक सीमित है।

2 vads{k.k 'kqYd %&

अवधि 04/2009 से 03/2011 के लेखाओं के अंकेक्षण करने का शुल्क ₹53,200/—बनता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 175, दिनांक 20.09.11 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी की उक्त राषि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष षिमला—9 के नाम भेजने का अनुरोध किया गया। अंकेक्षण शुल्क की राषि को संस्था द्वारा निम्न विवरणानुसार भेज दिया गया है :—

cSd MªkÝV la[;k	fnukad	jkf'k
046389	10.10.11	₹40,000
046390	10.10.11	₹13,200
	dqy ;ksx	₹53]200@&

3 foÙkh; fLFkfr %&

संस्था की अवधि 04/2009 से 03/2011 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

jkdM+ cgh d s vuq l kj foÙkh; fLFkfr %&

o"kZ 2009&10

प्रारम्भिक शेष	1,16,22,933.65
आय	2,61,36,718.00
dqy jkf'k	3]77]59]651-65
व्यय	2,62,32,795.00
vfUre 'ks"k	1]15]26]856-65

o"kZ 2010&11

प्रारम्भिक शेष	1,15,26,856.65
आय	8,39,10,436.00
dqy jkf'k	9]54]37]292-65
व्यय	8,31,82,367.00
vfUre 'ks"k	1]22]54]925-65

¼jkdM+ cgh d s vuq l kj½

cSd [kkrk s l s feyku

(1) बचत खातों में जमा राषि (परिषिष्ट ''1'')	1,23,86,541.00
(2) Check deposited but not credited upto 31-03-2011 (परिषिष्ट ''2(ख)'')	(+) 3,64,506.00
	1]27]51]047-00
(3) Cheques issued but not debited upto 31-03-2011 by the Bank (परिषिष्ट ''2(क)'')	(–) 4,96,122.00
jkdM+ dk vfUre 'ks"k	1]22]54]925-00

3-2 vuqnku %&

अंकेक्षण में उपलब्ध करवायी गई सूचना के अनुसार नगर परिषद हमीरपुर द्वारा प्राप्त अनुदानों का विवरण निम्न प्रकार से था :–

3-2-1 शहरी विकास निदेषालय से प्राप्त आपदा राहत निधि में अनुदानों का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट–1 में दिया गया है। नगर परिषद हमीरपुर द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार प्राप्त अनुदान राषियों का उपयोग करके सम्बन्धित विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

3-2-2 vuqnku dh jkf'k ₹0-67 yk[k dk mi;ksx u djuk %&

जिलाधीष हमीरपुर से प्राप्त अनुदानों का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''2,3'' में दिया गया है। निम्नलिखित के अतिरिक्त समस्त अनुदान राषियों को उपयोग कर लिया गया है।

vuqnku izkfIr dh fnukad	ftl mís'; ds fy, nh xbZ Fkh	jkf'k
23.02.2010	Renovation of Room and Branda of SDM office & Ele. Fitting ect.	₹50,000/–
23.02.2010	Minor Repair of SDM residence	₹17,000/–

उक्त राषियों का उपयोग कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जाए व उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय को भेजना सुनिष्चित करें।

3-2-3 तृतीय वित्तीय आयोग से प्राप्त अनुदान व खर्च की गई राषि का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''(4) व (5)'' में दिया गया है।

3-2-4 निदेषक, शहरी विकास षिमला से प्राप्त अनुदान "Maintenance of ULB Roads" का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''6 व 7'' में दिया गया है।

3-2-5 निदेषक, शहरी विकास षिमला से NSDP/EIUS के अर्न्तगत प्राप्त अनुदान राषियों का विवरण परिषिष्ट–8 में दिया गया है।

4 vk;

Xkgdj dh jkf'k ₹1-18 djksM+ dh olwyh 'ks"k %&

संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2011 को ₹1,18,45,756 की गृहकर की राषि वसूली हेतु शेष पड़ी थी जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट संख्याः 11 में दिया गया है। अतः गृहकर की बकाया राषि को वसूल करने हेतु शीघ्र ही नियमानुसार आवष्यक उचित कार्रवाही की जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4-1 संस्था द्वारा गृहकर का निर्धारण हिमाचल प्रदेष नगर परिषद अधिनियम–1994 की धारा 2(1) तथा इस सन्दर्भ में निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष के पत्र संख्याः ULB-HCC(9)2/91, दिनांक 19.02.1997 के अर्न्तगत जारी निर्देषों के अनुसार नहीं किया गया था जिसका औचित्य उपरोक्त नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा उपरोक्त नियमों के अनुसार गृहकर का निर्धारण किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4-2 गृहकर निर्धारण रजिस्टर के अवलोकन से प्रतीत होता है कि संस्था के द्वारा Self occupied भवनों के प्रकरणों में गृहकर का निर्धारण इच्छा अनुसार व किसी तर्क संगत माप–दण्डों व आधार के बिना किया गया था जोकि आपत्तिजनक है। अतः गृहकर का निर्धारण नियमानुसार किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4-3 <u>n|dkuk o LVkyk l n; fdjk; dh jkf'k ₹31-53 yk[k dh olyh 'k"k</u> ¼&

संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना जो कि अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट–9 में दी गई है के अनुसार दिनांक 31.03.2011 को ₹31,52,804/–की राषि किराय के रूप में वसूली योग्य शेष थी। किराये की बकाया राषि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब इस बकाया राषि की वसूली हेतु कठोर पग उठाए जाएं। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4-4 <u>VkÅu gky d fdjk;k jkf'k ₹0-04 yk[k dh de olyh djuk</u> ¼&

संस्था के टाऊन हॉल के अभिलेख आरक्षण एवं प्राप्ति रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक के आवेदन पत्र संख्याः ZOH/77/1170, दिनांक 11.03.2010 के द्वारा दिनांक 17.03.2010 को एक दिन के लिए टाऊन हॉल को बैंक का 90th स्थापना दिवस मनाने के लिए बुक करवाने का आग्रह किया गया था। नियमानुसार टाऊन हॉल का एक दिन का किराया ₹7,100/–बनता था मगर संस्था द्वारा कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक से जी–8 संख्याः 10/48, दिनांक 12.03.2010 केवल ₹3,100/–की राषि ही ही वसूली की गई। इस प्रकार ₹4,000/–की राषि कम वसूल की गई जिसका औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा ₹4,000/–की राषि की दोषी से वसूल कर के जमा करवाया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4-5 अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा जी–8 संख्या 39/3, दिनांक 29.03.2010 के द्वारा रैहन बसेरा की बुकिंग हेतु ₹300/–की राषि जमा हुई थी मगर इस की प्रविष्टि आरक्षण रजिस्टर

या आगंतुक रजिस्टर में नहीं की गई थी जिसके कारण इस राषि की सही होने सम्बन्धि सत्यापना नहीं हो सकी। अतः वांछित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाए।

4-6 0;olk; ykbZlsal 'kqYd dh jkf'k ₹0-03 yk[k dh de olwyh djuk %&

नगर परिषद के प्रस्ताव संख्याः 443/08, दिनांक 30.08.2008 के द्वारा निर्धारित व्यवसाय लाईसैंस शुल्क की दरों के अनुसार संस्था द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹3,150/—की राषि व्यवसाय कर्ताओं से कम वसूली गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा कम वसूल की गई राषि को दोषी से वसूल कर के जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

jlhn la[;k	fnukad	0;olk;	nj jkf'k	olwyh xbZ jkf'k	de olwyh dh jkf'k
1/90	05.03.10	क्लिनिक	500	250	250
2/6	10.03.10	ढाबा	150	50	100
2/16	12.03.10	ढाबा	150	50	100
2/17	15.03.10	शोरूम	500	150	350
2/33	17.03.10	ढाबा	150	50	100
2/40	17.03.10	ढाबा	150	50	100
2/48	19.03.10	ढाबा	150	50	100
2/56	19.03.10	ढाबा	150	50	100
3/9	25.03.10	ढाबा	150	50	100
3/42	27.03.10	ढाबा	150	50	100
3/54	29.03.10	ढाबा	150	50	100
4/9	31.03.10	शोरूम	500	250	250
4/21	31.03.10	शोरूम	500	250	250
4/25	01.04.10	ढाबा	150	50	100
6/23	04.03.11	ढाबा	150	50	100
6/51	14.03.11	ढाबा	150	50	100

6/63	16.03.11	ढाबा	150	50	100
6/72	18.03.11	ढाबा	150	50	100
6/75	18.03.11	ढाबा	150	50	100
6/90	22.03.11	ढाबा	150	50	100
6/94	22.03.11	क्लिनिक	500	250	250
6/95	22.03.11	ढाबा	150	50	100
2/11	31.03.11	ढाबा	150	50	100
				dqy jkf'k	₹3]150@&

4-7 ekufp= 'kqYd dh jkf'k ₹0-10 yk[k dh de olwyh djuk %&

सरकार की अधिसूचना संख्याः TCP-A(3)-1/2005, दिनांक 26.02.2007 के अनुसार भवन निर्माण आवास उपयोग हेतु विभिन्न वर्गों के लिए प्लॉट के क्षेत्र के अनुसार मानचित्र की दरें निर्धारित की गई थी। अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹9,685/—की राषि की मानचित्र शुल्क की उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार कम वसूली गई जिसका औचित्य उपरोक्त अधिसूचना के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा कम वसूली गई राषि को दोषी से वसूल करके जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

uxj ifj"kn iLrko l[;k	fnukad	Hkou fuek.k ekufp= l[;k	lykV dk {k=Qy	?kjkry {k=Qy	nj ¼₹½	ns; 'kYd ¼₹½	tek jkf'k ¼₹½	de olwyh ¼₹½
807/08	29.09.09	9	228.50 m^2	297.99 m^2	20 व 5	7102	6080	1022
23/2010	06.02.10	7	199.50 m^2	196 m^2	20	3920	1980	1940
02/2011	21.02.11	3	387.40 m^2	353.20 m^2	30	10596	7064	3532
242/10	05.10.10	69	255.40 m^2	201.64 m^2	30	6049	4033	2016
242/10	05.10.10	72	230.00 m^2	146.84 m^2	20	2937	1762	1175
							dqy jkf'k	₹9]685

4-8 fctyh 'kqYd %&

सरकार की अधिसूचना संख्याः एल0एस0जी0डी0(1)–9/94, दिनांक 08.11.1999 के अनुसार नगर परिषद की सीमा के भीतर उपयोग की गई बिजली पर एक पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली विभाग द्वारा शुल्क वसूल किया जाता है तदानुसार बिजली शुल्क की राषि को सम्बन्धित नगर परिषद को भुगतान करना अपेक्षित होता है। अंकेक्षण में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित बिजली शुल्क की राषि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त नहीं हुई थी जिसका औचित्य सरकार की उपरोक्त अधिसूचना के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए। देय बिजली शुल्क की राषि को प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विभाग से मामला उठा कर वसूली के लिए नियमानुसार आवष्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4-9 'kjkc 'kqYd %&

अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था को अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित शराब शुल्क की राषि आबकारी एवं कराधान विभाग से प्राप्त नहीं हुई थी। अतः शराब शुल्क की नियमानुसार देय राषि को आबकारी एवं कराधान विभाग से वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा इस की वसूली हेतु सम्बन्धित विभाग से मामला उठा कर नियमानुसार आवष्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4-9-1 अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा शराब शुल्क की वसूली हेतु कोई रजिस्टर नहीं बनाया गया जिसका औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में अनुपालना हेतु सुझाव दिया जाता है कि शुल्क की वसूली हेतु एक अलग रजिस्टर बनाया जाए जिस में शुल्क की वसूली की दिनांक, वसूली की अवधि तथा शराब की बोतलों की बिक्री इत्यादि का पुरा विवरण अंकित किया जाए।

4-10 ekckby Vkoj dEifu;ka ls LFkkiuk o uohuhdj.k 'kqYd dh jkf'k ₹0-75 yk[k dh olwyh 'ks"k

हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः HIM/TP/PJT/ALR/Vol-IX/06-8695-8760, दिनांक 16.10.06 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में मोबाईल सेवा प्रदान करने वाली विभिन्न कम्पनियों द्वारा लगाए गए मोबाईल टावरों की स्थापना के लिए नगर परिषद की अनुमति, स्थापना शुल्क, वार्षिक नवीनीकरण शुल्क तथा प्रत्येक टावर में सांझेदारी के आधार पर लगाये गए अतिरिक्त अन्टीना का शुल्क निर्धारित किया गया। अंकेक्षण में संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2011 को विभिन्न मोबाईल कम्पनियों से ₹75,000/–की राषि

बकाया शेष पड़ी थी जिसका ब्यौरा परिषिष्ट संख्याः 15 में दिया गया है। इस के अतिरिक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाए अभिलेख में नगर परिषद क्षेत्र में नये लगे मोबाईल टावरों का कोई उल्लेख नहीं था और मोबाईल टावरों पर अतिरिक्त अन्टीनों का कोई ब्यौरा भी नहीं दिया गया था। अतः नगर परिषद क्षेत्र में मोबाईल टावरों में सांझेदारी के आधार पर लगाये गए अतिरिक्त अन्टीनों व नये मोबाईल टावरों का सर्वेक्षण करवाया जाए तथा तदानुसार उपरोक्त पत्र के द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार वसूली की जाए तथा शेष बकाया राषि की नियमानुसार कार्रवाई कर के वसूली की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4-11 eukjatu dj %&

मनोरंजन कर रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि संस्था के क्षेत्राधिकार में अंकेक्षण अवधि के दौरान लगभग चार विडियों थियेटर काम कर रहे थे मगर जाँच में पाया गया कि इन विडियो थियेटरों से अंकेक्षण अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेष सरकार के शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्याः एल0एस0जी0–डी(1)–9/94–खण्ड–4, दिनांक 13.12.2000 के अनुसार मनोरंजन कर की वसूली नहीं की गई थी जिसका औचित्य उपरोक्त अधिसूचना के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित मनोरंजन कर की उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार वसूली की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4-12 i'kq o/k 'kqYd %&

पशु वध शाला रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि संस्था को अंकेक्षण अवधि के दौरान केवल दो या तीन व्यक्तियों से औसतन तीन या चार नगों की ही पषु वध शुल्क प्राप्त हो रही थी जो कि शहर की जनसंख्या व क्षेत्रफल के दृष्टिगत बहुत ही कम प्रतीत होती है। अतः इस प्रकरण की आन्तरिक जाँच एंव निरीक्षण किया जाए ताकि वास्तविकता का पता चल सके व इस शुल्क की सही वसूली की जा सके। अनुपालना को आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए।

5 वाऊचर संख्याः 1898, दिनांक 14.03.11 के द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को उन के आश्रितों की चिकित्सा पर हुए व्यय के प्रतिपूर्ति बिलों का अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा ऐसी औषधियों का भुगतान भी कर दिया है जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों के अनुसार देय नहीं था। अतः नियमों के विरूद्ध भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा निम्न विवरणानुसार राषि की वसूली कर के नगर परिषद खाते में जमा करवाया जाए।

Øe l[;k	deZpkjh dk uke inuke	vkfJr dk uke o lEcU/k	nokbZ;k dk uke	jkf'k
1	विजय कुमार शर्मा कार्यकारी अधिकारी	उजाला शर्मा पत्नी	Sensodent Tooth Paste	₹60/–
			Toss Gum Paint	₹34/–
				₹94@&
2	अष्वनी कुमार कनिष्ठ सहायक	मीनाक्षी पत्नी	Toss Gum Paint	₹34/–
			Total	₹128@&

6 श्री वकील सिंह जो पूर्व में चालक के पद पर कार्यरत थे को चिकित्सा बोर्ड द्वारा वाहन चालक के पद के लिए आयोग्य घोषित करने व उन द्वारा लिखित रूप से चालक के पद पर कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने के फलस्वरूप परिषद द्वारा इस कर्मचारी से अन्य पद का कार्य लिया जा रहा है। इस स्थिति में चालक के पद पर मिलने वाले वेतन व भत्तों के भुगतान का कोई भी औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः श्री वकील सिंह को चालक के पद के वेतन व भत्तों के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाएं अन्यथा इस कर्मचारी को उसी पद का वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाए जिस पद का कर्मचारी से कार्य करवाया जा रहा है। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 jkf'k ₹0-16 yk[k dk lEHkkfor nfo'fu;ktu ¼&

वाऊचर संख्याः 495 के द्वारा ₹7,807/–की राषि की वसूली श्री अरूण भाटिया ठेकेदार से ''अधिक भुगतान'' के रूप में की गई दर्षायी है। इस राशि को ठेकेदार से वसूल कर नगर परिषद खाते में जमा करवाया जाना था जिसकी वसूली ठेकेदार से तो की गई है। लेकिन नगर परिषद खाते में जमा नहीं करवायी गई। इस के विपरीत नगर परिषद खाते में चैक संख्याः 193350, दिनांक 09.07.2009 के द्वारा ₹7,807/–का भुगतान श्री अष्वनी कुमार कनिष्ठ सहायक को किया गया। इस प्रकार ₹7,807 + ₹7,807 = ₹15,614/–की राषि का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है। अंकेक्षण के दौरान उपरोक्त राषि को नगर परिषद खाते में जमा करवाने सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही भुगतान के समर्थन में उपरोक्त राषि से सम्बन्धित कोई बिल/वाऊचर प्रस्तुत किया गया। इस प्रकारण की पुष्टि करके सुनिष्चित किया जाए कि ₹15,614/–की राषि का समायोजन नियमानुसार सही था अन्यथा इस राषि की वसूली दोषी से

दण्ड ब्याज सहित करके नगर परिषद खाते में जमा करवा कर अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

8 jkf'k ₹0-62 yk[k dk vfu;fer Hkqxrku djuk%&

वाऊचर संख्याः 455, दिनांक 02.07.2009 के द्वारा ₹62,400/–का भुगतान श्री विपिन अत्री, वास्तुकार को टाऊन हॉल पार्क व गांधी गेट के समीप पार्किंग स्थल बनाने हेतु बनायी गयी डिजाईन रिपोर्ट के सन्दर्भ में किया गया। इस कार्य को नगर परिषद अन्य वास्तुकारों से दरों बारे सम्पर्क किए बगैर करवाया गया प्रतीत होता है क्योंकि उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित अन्य वास्तुकारों से प्राप्त निविदाऐं अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। अतः वास्तविक स्थिति से अवगत करवाते हुए निविदाओं को आमंत्रित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस व्यय को एकल निविदा के आधार पर सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए।

8-1 vk;dj o fcØh dj dh jkf'k ₹0-03 yk[k dks ljdkjh dks"k esa tek djokuk%&

श्री विपिन अत्री, वास्तुकार का भुगतान की गई राषि पर निम्नविवरणानुसार काटे गए बिक्रीकर व आयकर की राषि को सरकारी कोष मे जमा नहीं करवाया गया है क्योंकि इन राषियों को जमा करवाने के समर्थन में चालान अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए।

आयकर	₹1300/–
बिक्रीकर	₹1300/–
;ksx	₹2600@&

यदि इस राषि को वास्तव में जमा करवाया जा चुका था तो चालान अगले अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाएं अन्यथा जमा न होने की स्थिति में उपरोक्त राषि की वसूली दण्ड ब्याज सहित करके सरकारी कोष में जमा करवाया जाए।

9 वाऊचर संख्याः 469, दिनांक 04.07.2009 के द्वारा श्री शेर सिंह, संविदाकार को ₹10,000/–का भुगतान चैक संख्याः 7140, दिनांक 04.07.2009 के द्वारा “Providing and fixing water storage tank in Pooled Colony at Hamirpur” कार्य के निष्पादन के प्रतिफल में किया गया। उपरोक्त वाऊचर का अवलोकन करने पर पाया गया कि बिल के योग में गलती के कारण ₹142/–का अधिक भुगतान किया गया था जबकि वास्तव में ₹9,858/–की राषि भुगतान योग्य

थी। इस राषि की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद खाते में जमा करवायी जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

9-1 उपरोक्त बिल से ठेकेदार को देय राषि पर काटे गए आयकर ₹219/—व बिक्रीकर ₹219/—को सरकारी कोष में जमा करने के समर्थन में चालान/रसीद अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में इन राषियों के सरकारी कोष में होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः आवष्यक अभिलेख/प्रमाण अगले अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाएं अन्यथा इस राषि की वसूली करके सरकारी खाते में जमा करवा कर अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

10 jkf'k ₹0-20 yk[k dk etnjk dk vufpr Hkxru djuk %&

वाऊचर संख्याः 438, दिनांक 01.07.2009, वाऊचर संख्याः 1815, दिनांक 01.03.2011 के द्वारा मस्ट्रोल संख्या 31/2009 जो अवधि 01.06.2009 से 30.06.2009 तक श्री अष्वनी कुमार कनिष्ठ अभियन्ता को जारी किया गया था का अवलोकन करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :—

उपरोक्त अवधि हेतु जारी मस्ट्रोल में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि किस कार्य के लिए जारी किया गया था।

मस्ट्रोल में वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य की प्रगति रिपोर्ट नहीं दी गई है जिसके अभाव में किए गए भुगतान को सत्यापित नहीं किया जा सका। अतः अनुपालना हेतु परामर्ष दिया जाता है कि उपरोक्त अवधि में किए गए कार्य की प्रगति रिपोर्ट सामग्री उपयोग सारणी सहित देकर किए गए भुगतान को सत्यापित करवाया जाए अन्यथा नियमों के विरूद्ध किए गए भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद खाते में जमा करवाकर अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

¼1½ okÅpj la[;k 438] fnukd 01-07-09

nfud Hkkxh dk uke o inuke	dk;Z fnol ftldk Hkxrku fd;k x;k	nj	jkf'k
मनोज कुमार, मिस्त्री	30	₹140/—	₹4200/—
समषेर, मजदूर	10	₹110/—	₹1100/—
निर्मला, मजदूर	30	₹110/—	₹3300/—
		dy ;kx	₹8600@&

¼2½ okÅpj l[;k 1815] fnukd 01-03-2011 **M/Roll No. 208/2011**

nSfud Hkkxh dk uke o inuke	dk;Z fnol ftldk Hkqxrku fd;k x;k	nj	jkf'k
श्री मनोज कुमार, मिस्त्री	28	₹154/–	₹4312/–
श्री समषेर, मजदूर	28	₹120/–	₹3360/–
श्रीमति निर्मला, मजदूर	28	₹120/–	₹3360/–
		dqy ;kx	₹11032@&

11 cksMksZ o iksLVjksa dh Niokbz ij jkf'k ₹1-11 yk[k dk vfu;fer 0;; %&

वाऊचर संख्याः 1825, दिनांक 03.03.2011 के द्वारा ₹1,11,419/–का भुगतान मैं0 अष्वा आर्टस हमीरपुर निम्नलिखित बिलों के द्वारा बोर्डों एवं पोस्टरों की छपवाई करने हेतु किया गया।

fcy l[;k	fnukd	Hkqxrku dh xbZ jkf'k
859	16.07.2010	₹66,203/–
866	16.07.2010	₹13,081/–
869	28.01.2011	₹25,651/–
873	28.01.2011	₹6,484/–
	;kx	₹1]11]419@&

उपरोक्त वाऊचर का अवलोकन करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :–

(1) बोर्डों एवं पोस्टरों के विषय वस्तु (Subject Matter) के सन्दर्भ में अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया कि कौन से बोर्ड/पोस्टर पर क्या लिखवाया गया था।

(2) प्रिंट करवाए गए पोस्टरों/बोर्डों को स्थापित करने के स्थान सम्बन्धि अभिलेख भी अंकेक्षण को नहीं दिखाया गया कि कितने बोर्ड/पोस्टर किस स्थान पर स्थापित किए गए हैं।

(3) उपरोक्त सन्दर्भ में आमन्त्रित निविदाओं का अवलोकन करने पर पाया गया मैं0 अष्वा आर्टस के अतिरिक्त अन्य ऐसी दो फर्मों से निविदाऐं ली गई थी जो इस तकनीक वाले व्यवसाय में व्यापार ही नहीं करती थी जिससे प्रतीत होता है कि निविदाओं का आमंत्रण मात्र औपचारिकता की गई है। अतः नियमानुसार एवं विधिवत तरीके से निविदाऐं आमन्त्रित

न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस खर्च के एकल निविदा के आधार पर सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए।

12 lheUV dh [kjhn e: jkf'k ₹0-05 yk[k dk vf/kd Hkqxrku djuk%&

वाऊचर संख्याः 1942, दिनांक 18.03.2011 के द्वारा ₹36,112/–का भुगतान हिमाचल प्रदेष राज्य खाद्य आपूर्ति निगम षिमला को 200 बोरी सीमेन्ट (10 मीट्रिक टन) खरीदने हेतु अग्रिम के रूप में किया गया। उपरोक्त राषि के विरूद्ध दी बिलासपुर जिला ट्रक ऑपरेटर सहकारी समिति बरमाणा की G.R. No. 0002032748, दिनांक 05.05.2011 के द्वारा प्राप्त सीमेन्ट के किराया भाड़ा के रूप में ₹4,535.16 व ए0सी0सी0 लिमिटेड के चालान संख्याः 1900916099, दिनांक 05.05.2011 के द्वारा 10 मैट्रिक टन सीमेन्ट की कीमत ₹26,870/–के बिल लगाए गए हैं जिन का कुल योग ₹31,405/–बनता है जबकि अग्रिम ₹36,112/–दिए गए थे। अन्तर की राषि ₹36,112 – ₹31,405 = ₹4,707/–का अधिक भुगतान किया है जिसकी वसूली/समायोजन अंकेक्षण के दौरान नहीं दिखाया गया। अतः आवष्यक पत्राचार करके इस राषि की वसूली शीघ्र की जानी सुनिष्चित की जाए।

13 lheUV dk vuko';d Ø; dju d dkj.k ₹840@&dk vf/kd Hkqxrku djuk%&

सीमेन्ट के स्टॉक रजिस्टर नम्बर 2 का अवलोकन करने पर पाया गया कि मैं0 विकास ट्रेडिंग कम्पनी हमीरपुर से 6 बोरी सीमेन्ट ₹280/–प्रति बोरी की दर से खरीदी गई। स्टॉक रजिस्टर के अनुसार दिनांक 15.10.2010 (उपरोक्त खरीद की तिथि) से 31.10.2010 तक खरीदे गए सीमेन्ट की छः बोरियों का उपयोग नहीं किया गया तथा दिनांक 31.10.2010 को हिमाचल प्रदेष राज्य खाद्य आपूर्ति निगम से 200 बोरी सीमेन्ट खरीदा गया जिसकी कीमत प्रति बोरी ₹140/–थी। अतः आवष्यकता न होने पर बाजार से ₹280/–प्रति बोरी सीमेन्ट खरीदने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा 6 x (₹280 - ₹140) = ₹840 के अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद खाते में जमा करवाया जाए।

14 वार्ड संख्याः 2 की सफाई हेतु वर्ष 2009–10 में प्राप्त कुटेषनों के आधार पर ₹6500/– प्रति माह की दर से ठेका दिया गया था लेकिन इसी वार्ड की सफाई हेतु वर्ष 2010–11 के लिए ठेका ₹11,000/–प्रति माह की दर से दिया गया। उपरोक्त वार्ड का क्षेत्र सामान रहने व मजदूरी की दरों में कोई अत्याधिक बढ़ौतरी न होने के कारण ठेके की राषि ₹6,500/– से बढ़ा कर

₹11,000/– प्रति माह करना तर्क संगत नहीं लगता। अतः ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया प्रतीत होता है। अतः गत वर्ष में हुए ठेके की दर को मध्यनजर न रखकर वर्ष 2010–11 में ₹11,000/– करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा मजदूरी की दरों में वर्ष 2009–10 से वर्ष 2010–11 में हुई अनुपातिक वृद्धि को गत वर्ष के ठेके की राषि में जोड़ कर वर्ष 2010–11 हेतु ठेकेदार को देय राषि निर्धारित की जाए तथा अन्तर की राषि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

15 fuekZ.k dk;Z ds fy, fn, x, vfxze dh jkf'k ₹0-50 yk[k dh vfUre dk;Z fcy ls olwyh u djuk %&

वाऊचर संख्याः 445, दिनांक 02.07.2009 के द्वारा राषि ₹50,000/–का भुगतान श्री हरीष कुमार (Govt. Contractor) को सोलिड़ वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रोजैक्ट दुगनेडी में सड़क निर्माण कार्य हेतु अग्रिम के रूप में किया गयां उपरोक्त कार्य के निष्पादन सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि अग्रिम रूप में भुगतान की गई राषि की कटौती अन्तिम बिल से नहीं की गई है। यह एक गम्भीर अनियमितता है। उक्त कार्य के अन्तिम बिल के भुगतान होने की तिथि से आज तक ₹50,000/–की राषि के असमायोजित रहने की अवधि की गणना कर के उक्त राषि को समायोजित न करने बारे दोषी को उत्तरदायी ठहराया जाए तथा इस राषि की वसूली दण्ड ब्याज सहित करके अगले अंकेक्षण पर दिखाया जाए।

16 vk;@fcØhdj dh jkf'k ₹0-03 yk[k dks ljdkjh dks"k esa tek u djokuk %&

वाऊचर संख्याः 496, दिनांक 09.07.2009 के द्वारा श्री जगसिंह (Govt. Contractor) से करवाये गए कार्य "Repair and Renovation of SDM Residence at Hamirpur" (Deposit work) के बिल से ₹75,432/–पर निम्न लिखित करों की कटौती की गई लेकिन नगर परिषद कार्यालय द्वारा इन राषियों को सरकारी कोष में जमा करवाने सम्बन्धि चालान अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए। जिससे प्रतीत होता है कि इन राषियों को जमा नहीं करवाया गया है। यदि ये राषियां सरकारी कोष में जमा करवायी जा चुकी हैं तो इन के चालान प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन राषियों को सरकारी कोष में जमा करवा कर की गई कार्रवाई की अनुपालना से अगले अंकेखण पर अवगत करवाएं।

बिक्री कर 2 प्रतिषत	₹1509/–
आय कर 2 प्रतिषत	₹1509/–

अतिरिक्त प्रभार 12 प्रतिषत ₹181/–

dqy jkf’k ₹3]199@&

17 fcuk rdfudh Lohdfr d ₹5-49 yk[k d dk; dk fu"iknu djuk %&

वाऊचर संख्याः 594, दिनांक 27.07.2009

कार्य का नाम C/o Sound Proof arrangement in Town Hall at Hamirpur

संविदाकार का नाम श्री जगसिंह ठाकुर

कार्य आबंटन पत्र सं0 MCH/Tender/Awards/2008-09-V-19817, दिनांक 28.02.2009

उपरोक्त कार्य के निष्पादन सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :–

(1) उपरोक्त कार्य का निष्पादन ₹5,48,623/–की राषि के लिए किया गया। लेकिन नगर परिषद द्वारा इस कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। इस सन्दर्भ में आपेक्षित तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर के अगले अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

(2) इस कार्य की मद “Demolition of Paneling” से प्राप्त सामग्री को भण्डार मं दर्ज नहीं किया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः उपरोक्त मद से प्राप्त सामग्री के सम्बन्ध में अभिलेख तैयार करके दर्षाया जाए कि कितनी मात्रा में सामग्री प्रयोग योग्य थी और कितनी अप्रयोग योग्य। इस के अतिरिक्त यह भी दर्षाया जाए कि प्रयोग योग्य सामग्री को कहां उपयोग किया गया था।

(3)(क) उक्त कार्य के अन्तिम बिल के रूप में ₹5,48,623/–का भुगतान किया गया लेकिन नगर परिषद हमीरपुर द्वारा नियमानुसार भुगतान राषि पर 10 प्रतिषत की दर से प्रतिभूति की कटौती नहीं की गई है जबकि नियमानुसार ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य के त्रुटि रहित होने की पुष्टि के लिए कार्य समाप्ति से छः मास की अवधि तक ठेकेदार के बिल से काटी गई प्रतिभूति की राषि को नगर परिषद अपने पास रख सकती है। तथा छः मास की अवधि में ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य में पाई गई त्रुटि की वसूली प्रतिभूति की राषि में से करने के लिए सक्षम थी। अतः नियमों के दृष्टिगत 10 प्रतिषत प्रतिभुति न काटने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

18 lfonkdkj dks jkLrs ds fuekZ.k dk;Z ds fy, ₹0-03 yk[k dk vf/kd Hkqxrku djuk%&

वाऊचर संख्याः 558, दिनांक 21.07.2009 द्वारा श्री अजय कुमार (संविदाकार) को वार्ड नम्बर 8 माया होटल के निकट रास्ते के निर्माण कार्य के लिए भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि बिल की मद संख्याः 1(Excavation in foundation) के निष्पादन हेतु एस0आर0–1999 में दर्षायी गई दर ₹92.85 प्रति क्युविक मीटर से भुगतान किया गया जबकि इस मद को भुगतान एस0आर0–1999 की कोड संख्याः 07020000 द्वारा दर्षायी गई दर ₹69.25 प्रति क्युविक मीटर से देय था। अतः इस मद की कुल निष्पादित मात्रा के लिए (112.08 cum x (92.85 – 69.25)= ₹2,645/–का अधिक भुगतान किया। अतः उचित दर से ठेकेदार को भुगतान न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा गलत दर लगाने के परिणामस्वरूप अधिक भुगतान की गई राषि की वसूली उचित स्त्रोत से कर के नगर परिषद खाते में जमा करवायी जाए।

19 lfonkdkj dks jkf'k ₹0-10 yk[k dk vf/kd Hkqxrku djuk%&

वाऊचर संख्याः 550, दिनांक 21.07.2009 द्वारा श्री सुभाष चन्द संविदाकार को ₹1,09,623/–का भुगतान वार्ड नम्बर 1 में Septic Tank and Renovation of Sauchalya के कार्य के लिए किया गया। इस कार्य हेतु आमन्त्रित निविदाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त संविदाकार द्वारा लोक निर्माण विभाग की दर अनुसुची–1999 के अनुसार देय दरों पर 73% प्रीमियम जो अन्य संविदाकारों से कम था के आधार पर उपरोक्त कार्य का आबंटन किया गया। लेकिन उक्त कार्य की मद संख्याः 9, “Providing & fixing main hole cover” 2No. @ ₹750/-, ₹1500/-के लिए निष्पादित की गई। यह मद Non Schedule होने पर वर्तमान में प्रचलित बाजार दरों पर भुगतान किया गया मगर इस मद की दर पर भी 73% प्रीमियम दिया गया जो उचित नहीं था। इस प्रकार ₹1500x73/100 = ₹1095/- का अधिक भुगतान किया गया जिसका औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस राषि की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद खाते में जमा करवा कर अनुपालना से यथाषीघ्र इस विभाग को अवगत करवाएं।

20 lfonkdkj ls jkf'k ₹0-21 yk[k dh dVkSrh u djuk%&

वाऊचर संख्याः	555, दिनांक 21.07.2009
कार्य का नाम	Shiefting of Thakur Jagdev Chand Statue in Municipal Town Hall.

संविदाकार का नाम अरूण भाटिया

भुगतान की गई राषि ₹2,06,400/—

संविदाकार को देय राषि में से काटे गए आयकर ₹4,300/—पर अतिरिक्त प्रभार की राषि ₹516/—की वसूली नहीं की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सरकारी कोष में कम जमा करवायी गई राषि की वसूली उचित स्त्रोत से कर के अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

20-1 अनुबन्ध की क्लाऊज—1 की शर्त के अनुसार संविदाकार को देय राषि ₹2,06,400/—पर 10 प्रतिषत की दर से प्रतिभूति नहीं काटी गई है। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

20-2 Shiefting के दौरान पुरानी प्रतिमा के तोड़ने से प्राप्त प्रयोग योग्य सामग्री को नगर परिषद द्वारा अपने स्टॉक में जमा नहीं किया है और न ही इस का प्रयोग करने सम्बन्धित अभिलेख कार्यवाही करके अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

21 वाऊचर संख्याः 1854, दिनांक 07.03.2011 के द्वारा श्री अनिल कुमार संविदाकार को ₹50,000/—का भुगतान चैक संख्याः 113400, दिनांक 07.03.11 के माध्यम से टाऊन हाल की सफेदी करने हेतु किया गयां उपरोक्त कार्य का आबंटन पूर्व में प्राक्कलन तैयार न करके Job wise इक्टठा किया गया है जिसके अभाव में उक्त कार्य की तकनिकी आधार पर पैमाइष की पुष्टि नहीं की जा सकी।

21-1 संविदाकार के बिल से आयकर व बिक्रीकर की वसूली नहीं की गई जिसका औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा निम्न विवरणानुसार करों की वसूली दोषी से करके सरकारी कोष में जमा करवायी जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

vk;dj ₹1000@&

fcØhdj <u>₹1000@&</u>

dqy jkf’k <u>₹2000@&</u>

21-2 नियमानुसार संविदाकार को भुगतान की गई राषि ₹50,000/—पर 10 प्रतिषत के हिसाब से प्रतिभूति की कटौती नहीं की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

22 वाऊचर संख्याः 1927, दिनांक 17.03.11,

कार्य का नाम	C/o Road from R/D O/o to 0/300 S/H. C/o Culvert and Parapet etc.
संविदाकार का नाम	श्री मनोज कुमार

उपरोक्त वाऊचर का अवलोकन करने पर पाया गया कि संविदाकार को उक्त कार्य के निष्पादन के एवज में अलग–अलग भुगतान दर्षाया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

(1)	बिल में दर्षायी गई निष्पादित मदों का भुगतान	39,756.00
(2)	जे0सी0बी0 द्वारा की गई कटिंग हिल साईड का बिल सं0 000012, दिनांक 26.09.2009	21,451.50
(3)	Manu Hardware store Hamirpur for purchasing 1-Pvc pipe	2,388.00
	mijkDr dk;l d lUnHk e fd;k x;k dy Hkxrku	₹63]595@&

बिक्री कर व आयकर की कटौती ₹39,756/–की राषि पर की गई है जबकि नियमानुसार करों की कटौती ₹63595/–पर की जानी आपेक्षित थी। अतः निम्न विवरणानुसार करों की कुल कटौती ₹938/–कम की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा कम कटौती की वसूली दोषी से करके सरकारी कोष में जमा करवायी जाए।

dj dk uke	dVkSrh ;kX; jkf'k	dkVh xbl jkf'k	de olwyh
बिक्री कर	1272	830	442
आय कर	1272	830	442
अतिरिक्त प्रभार	153	99	54

कुल कम काटी व जमा करवायी गई राषि ₹938/–

22-1 Cutting Hill Side की मद के निष्पादन में कुल निष्पादित मात्रा का हवाला न देकर कटिंग की दर ₹875/–प्रति घण्टा के हिसाब से 24.5 घण्टे का भुगतान किया गया है जो उचित नहीं था। इस मद का भुगतान HPWD विभाग की दर सुचि में दर्षायी गई दर के अनुसार संविदाकार द्वारा वास्तव में निष्पादित मात्रा के अनुसार किया जाना आपेक्षित था। अतः उपरोक्त मद की कुल निष्पादित मात्रा का भुगतान दर सुची में दी गइ दर के अनुसार निर्धारित कर के JCB के द्वारा

किए गए कार्य हेतु किए गए भुगतान के साथ तुलना की जाए तथा अन्तर (यदि कोई हो तो) की राषि को नगर परिषद खाते में जमा करवाया जाए।

22-2 संविदाकार के बिल से अनुबन्ध की क्लाऊज–1 के अनुसार 10 प्रतिषत की दर से प्रतिभूति राषि नही काटी गई थी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

23 वाऊचर संख्याः 588 दिनांक 21.07.2009

कार्य का नाम Path Near Maya Hotel Ward No. 8

संविदाकार का नाम अजय कुमार

संविदाकार के उपरोक्त कार्य के बिल का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्नलिखित मदों की दरें दर सूची–1999 में न होने के कारण Non-Schedule बना कर भुगतान किया गया लेकिन सम्बन्धित शाखा द्वारा इन मदों के दर विष्लेषण (Analisis of Rates) जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित था, अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में दी गई दरों को सत्यापित नहीं किया जा सका। अतः वांछित अभिलेख तैयार करके अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

en l[;k	fu"ikfnr en dk fooj.k	ek=k	nj	jkf'k
5	P/L High Pressure Floor tiles of 60mm size in cc.1.2.4	186.8 sqm	590 per sqm	₹1,10,212/–
7	Constructing a chamber with bricks in CM 1.6	5	1823-10 each	₹9,116/–

23-1 संविदाकार के बिल से अनुबन्ध की Clous-1 के अनुसार 10 प्रतिषत कटौती नहीं की गई है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

24 <u>okgu</u>

वाहन संख्याः एच0पी0–22–0313 की लॉग बुक के अवलोकन में पाया गया कि निम्न प्रकरणों में नगर परिषद के वाहन को वी0आई0पी0 डयुटी (VIP Duty) दर्षा कर उपयोग में लाया गया जो कि किसी भी दषा में नगर परिषद के कार्य से सम्बन्धित नहीं था। अतः इन यात्राओं को नियमानुसार अथवा हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेषों के दृष्टिगत उचित ठहराया जाए अन्यथा इन्हें निजी यात्राऐं मान कर तदानुसार आगामी कार्रवाई की जाए।

fnukd	r; dh xbZ njh	okgu mi;ksx dUkk dk uke
26.02.2010	60	प्रधान
26.10.2009	20	प्रधान
25.01.2010	90	कार्यकारी अधिकारी
17.05.2010	40	प्रधान
21.05.2010	320	प्रधान
02.09.2010	25	प्रधान
03.09.2010	30	प्रधान
13.11.2010	30	प्रधान
19.02.2011	49	प्रधान
20.03.2011	40	प्रधान

25 LVkd y[k %&

अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान स्टॉक लेखों का रख–रखाव नियमानुसार व सही ढंग से नहीं किया गया था। वस्तुओं के मदवार खाते नहीं बनाए गए जिससे यह मालूम नहीं किया जा सकता कि किस वस्तु की कुल मात्रा क्या है। अतः अब स्टॉक लेखों का रख–रखाव नियमानुसार किया जाए व उपभोज्य एवं अनुपभोज्य वस्तुओं का अलग–अलग स्टॉक तैयार किया जाए। पुराने स्टॉक रजिस्टरों की शेष मात्रा को नये स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज किया जाए तथा अनुपालना को आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए।

25-1 अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा बिजली के सामान से सम्बन्धित उपयोग का अभिलेख नहीं बनाया गया था जिसके बिना बिजली के स्टॉक की सत्यापना नहीं की जा सकी। अतः वांछित अभिलेख को नियमानुसार तैयार किया जाए तथा अनुपालना को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाए।

26 नगर परिषद हमीरपुर द्वारा अपने स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था जो नियमानुसार करवाया जाना आवष्यक था। अतः अनुपालना हेतु सुझाव दिया जाता है कि नियमानुसार स्टोर/स्टॉक मदों का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाए तथा प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान पाई गई अप्रयोग योग्य वस्तुओं की नीलामी करके प्राप्त राषि को परिषद के खाते में जमा करवाया जाए।

26-1 स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों के अवलोकन से यह भी ज्ञात हुआ कि नगर परिषद द्वारा खरीदे गए सामान का उपयोग बिना मांग पत्र से किया गया है। जिस के चलते यह सुनिष्चित नहीं किया

जा सका कि क्या वास्तव में इस सामान की जरूरत थी या नहीं अतः भविष्य में स्टोर से सामान मांग पत्र पर ही जारी किया जाए ताकि उसकी वास्तविक आवष्यकता का सत्यापन किया जा सके।

27 <u>jíh dh uhykeh</u> ¼&

नगर परिषद के द्वारा अंकेक्षण अवधि में नियमित रूप से कई समाचार पत्रों का क्रय किया गया था लेकिन रद्दी की नीलामी नहीं की गई थी। जिसका औचित्य स्पष्ट करें तथा नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाए।

28 <u>fu"d"k</u> ¼&

नगर परिषद हमीरपुर द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही सन्तोषजनक नहीं है और न ही इन अंकेक्षण प्रतिवेदनों में दिए गए सुझावों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। जिससे प्रतीत होता है कि संस्था द्वारा अंकेक्षण को महत्वहीन समझ कर बारम्बार उन्हीं गलतियों को दोहराया जा रहा है। अतः भविष्य में अनुपालना हेतु सुझाव दिया जाता है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में दर्षाये गए अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु कारगर पग उठाए जाएं।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(v)(22)–खण्ड–6 दिनांक, षिमला–171009,
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1- निदेषक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेष षिमला–171002

i`thdr ¼ 2. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद हमीरपुर, को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर प्रेषित करें।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष षिमला–171009.

¼vuq dqekj ?kk:½

<u>ifjf'k"V&^v**</u>

uxj ifj"kn gehjiqj] ftyk gehjiqj] fgekpy izns'k ds ys[kkvksa vof/k 04@2009 ls 03@2010 rd ds vads{k.k o fujh{k.k izfrosnu ds xr vads{k.k izjksa dh fLFkfr %&

¼1½ vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@75 ls 03@81

1	पैरा 12(सी)	अनिर्णीत
2	पैरा 15(1,2)	अनिर्णीत
3	पैरा 27	अनिर्णीत

¼2½ vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@81 ls 03@82

1	पैरा 35(डी)	अनिर्णीत

¼3½ vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@82 ls 03@85

1	पैरा 17	अनिर्णीत
2	पैरा 18	अनिर्णीत
3	पैरा 25	अनिर्णीत
4	पैरा 29(ए0बी0)	अनिर्णीत
5	पैरा 30	अनिर्णीत
6	पैरा 31	अनिर्णीत
7	पैरा 35	अनिर्णीत

¼4½ vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@85 ls 03@87

1	पैरा 5(सी0डी0ई0)	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत
3	पैरा 11	अनिर्णीत
4	पैरा 14	अनिर्णीत
5	पैरा 19	अनिर्णीत
6	पैरा 20(i)	अनिर्णीत
7	पैरा 21(I to xiii)	आंषिक निर्णीत

¼5½ vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@87 ls 03@89

1	पैरा 5(ई)	अनिर्णीत
2	पैरा 14	अनिर्णीत
3	पैरा 18	अनिर्णीत
4	पैरा 20	अनिर्णीत
5	पैरा 25	अनिर्णीत

¼6½ vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@89 ls 03@90

1	पैरा 7(10)	अनिर्णीत
2	पैरा 11(ई)	अनिर्णीत

¼7½ vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@91 ls 03@93

1	पैरा 12(8)	अनिर्णीत

¼8½ y?kq vkifr foojf.kdk ½&

04/66 से 03/70 मद 1(सी0डी0), 2 से 12

04/70 से 03/73 मद 1 से 21

04/73 से 03/75 मद 2, 3, 8, 9(2)

04/75 से 03/81 मद 6(एच), 7(1 से 7), 7(9, 10)

¼9½ vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@94 ls 03@99

1	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 7(ग)	आंषिक निर्णीत
3	पैरा 7(घ)	आंषिक निर्णीत
4	पैरा 10(5)	अनिर्णीत
5	पैरा 12(क)	अनिर्णीत

¼10½ vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@99 ls 03@2006

1	पैरा 4(क)	अनिर्णीत

2	पैरा 4(ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा 5	अनिर्णीत	
4	पैरा 6(1)(क)	अनिर्णीत	
5	पैरा 6(1)(ख)	अनिर्णीत	
6	पैरा 6(1)(ग)	अनिर्णीत	
7	पैरा 6(1)(घ)	अनिर्णीत	
8	पैरा 6(1)(ङ)	अनिर्णीत	
9	पैरा 6(1)(च)	अनिर्णीत	
10	पैरा 6(2)	अनिर्णीत	
11	पैरा 6(3)	अनिर्णीत	
12	पैरा 6(4)	अनिर्णीत	
13	पैरा 6(5)	अनिर्णीत	
14	पैरा 6(6)	अनिर्णीत	
15	पैरा 6(7)	अनिर्णीत	
16	पैरा 6(8)(1)	अनिर्णीत	
17	पैरा 6(8)(2)	अनिर्णीत	
18	पैरा 6(8)(3)	अनिर्णीत	
19	पैरा 6(9)	अनिर्णीत	
20	पैरा 6(10)	अनिर्णीत	
21	पैरा 7(1)	अनिर्णीत	
22	पैरा 7(2)	निर्णीत	राषि ₹947/–रसीद संख्याः 95/94, दिनांक 20.09.11 को जमा करवा दिए गए।
23	पैरा 7(3)	निर्णीत	राषि ₹7840/–रसीद संख्याः 95/99, दिनांक 20.09.11 को जमा करवा दिए गए।

24	पैरा 7(4)	निर्णीत	वसूली रसीद संख्याः 95/55, दिनांक 17.09.11 के द्वारा ₹1500/–व रसीद संख्याः 95/83, दिनांक 20.09.11 के द्वारा ₹150/–की वसूली कर ली गई।
25	पैरा 7(5)	अनिर्णीत	
26	पैरा 7(6)	अनिर्णीत	
27	पैरा 7(7)	अनिर्णीत	
28	पैरा 7(8)	अनिर्णीत	
29	पैरा 7(9)	अनिर्णीत	
30	पैरा 7(10)	निर्णीत	राषि ₹400/–की वसूली रसीद संख्याः 95/95, दिनांक 20.09.11 के द्वारा जमा करवा दी गई।
31	पैरा 7(11)	अनिर्णीत	
32	पैरा 7(12)	निर्णीत	राषि ₹650/–की राषि रसीद संख्याः 95/98, दिनांक 20.09.2011 के द्वारा जमा करवा दी गई।
33	पैरा 7(13)	अनिर्णीत	
34	पैरा 7(14)	अनिर्णीत	
35	पैरा 7(15)	अनिर्णीत	
36	पैरा 7(16)	अनिर्णीत	
37	पैरा 7(17)	अनिर्णीत	
38	पैरा 7(18)	अनिर्णीत	
39	पैरा 8(1)	अनिर्णीत	
40	पैरा 8(2)	अनिर्णीत	
41	पैरा 8(3)	अनिर्णीत	
42	पैरा 8(4)	अनिर्णीत	

43	पैरा 8(5)	अनिर्णीत
44	पैरा 8(6)	अनिर्णीत
45	पैरा 8(7)	अनिर्णीत
46	पैरा 8(8)	अनिर्णीत
47	पैरा 8(9)	अनिर्णीत
48	पैरा 8(10)	अनिर्णीत
49	पैरा 8(11)(i)	अनिर्णीत
50	पैरा 8(11)(ii)	अनिर्णीत
51	पैरा 8(12)	अनिर्णीत
52	पैरा 9(क)(1)	अनिर्णीत
53	पैरा 9(क)(2)	अनिर्णीत
54	पैरा 9(क)(3)	अनिर्णीत
55	पैरा 9(क)(4)	अनिर्णीत
56	पैरा 9(क)(5)	अनिर्णीत
57	पैरा 9(क)(6)	अनिर्णीत
58	पैरा 9(क)(7)	अनिर्णीत
59	पैरा 9(क)(8)	अनिर्णीत
60	पैरा 9(क)(9)	अनिर्णीत
61	पैरा 9(क)(10)	अनिर्णीत
62	पैरा 9(क)(11)	अनिर्णीत
63	पैरा 9(क)(12)	अनिर्णीत
64	पैरा 9(क)(13)	अनिर्णीत
65	पैरा 9(क)(14)	अनिर्णीत
66	पैरा 9(क)(15)	अनिर्णीत
67	पैरा 9(क)(16)	अनिर्णीत

68	पैरा 9(1)	अनिर्णीत
69	पैरा 9(2)	अनिर्णीत
70	पैरा 9(3)	अनिर्णीत
71	पैरा 9(4)	अनिर्णीत
72	पैरा 9(5)	अनिर्णीत
73	पैरा 9(6)	अनिर्णीत
74	पैरा 9(7)	अनिर्णीत
75	पैरा 9(8)	अनिर्णीत
76	पैरा 9(9)	अनिर्णीत
77	पैरा 9(10)	अनिर्णीत
78	पैरा 9(11)	अनिर्णीत
79	पैरा 9(12)	अनिर्णीत
80	पैरा 9(13)	अनिर्णीत
81	पैरा 9(14)(1,2)	अनिर्णीत
82	पैरा 9(15)	अनिर्णीत
83	पैरा 9(16)	अनिर्णीत
84	पैरा 9(17)	अनिर्णीत
85	पैरा 9(18)	अनिर्णीत
86	पैरा 9(19)	अनिर्णीत
87	पैरा 9(20)(1 से 4)	अनिर्णीत
88	पैरा 9(21)(1 से 4)	अनिर्णीत
89	पैरा 9(22)	अनिर्णीत
90	पैरा 9(23)	अनिर्णीत
91	पैरा 9(24)	अनिर्णीत
92	पैरा 9(25)	अनिर्णीत

93	पैरा 9(26)	अनिर्णीत
94	पैरा 9(27)(1 से 9)	अनिर्णीत
95	पैरा 9(28)	अनिर्णीत
96	पैरा 9(29)	अनिर्णीत
97	पैरा 10{(i) to (vii)}	अनिर्णीत
98	पैरा 10(1)(क)	अनिर्णीत
99	पैरा 10(1)(ख)	अनिर्णीत
100	पैरा 10(1)(ग)	अनिर्णीत
101	पैरा 10(1)(घ)	अनिर्णीत
102	पैरा 10(2)(क)	अनिर्णीत
103	पैरा 10(2)(ख)	अनिर्णीत
104	पैरा 10(2)(ग)	अनिर्णीत
105	पैरा 10(2)(घ)	अनिर्णीत
106	पैरा 10(2)(ङ)	अनिर्णीत
107	पैरा 10(3)(क)(1)	अनिर्णीत
108	पैरा 10(3)(क)(2)	अनिर्णीत
109	पैरा 10(3)(क)(3)	अनिर्णीत
110	पैरा 10(3)(क)(4)	अनिर्णीत
111	पैरा 10(4)	अनिर्णीत
112	पैरा 10(5)	अनिर्णीत
113	पैरा 10(6)	अनिर्णीत
114	पैरा 10(7)	अनिर्णीत
115	पैरा 10(8)	अनिर्णीत
116	पैरा 10(9)	अनिर्णीत
117	पैरा 10(10)	अनिर्णीत

118	पैरा 11(1)	अनिर्णीत
119	पैरा 11(2)	अनिर्णीत
120	पैरा 11(3)	अनिर्णीत
121	पैरा 11(4)	अनिर्णीत
122	पैरा 11(5)	अनिर्णीत
123	पैरा 11(6)	अनिर्णीत
124	पैरा 12(1)	अनिर्णीत
125	पैरा 12(2)	अनिर्णीत
126	पैरा 12(3)	अनिर्णीत
127	पैरा 12(4)	अनिर्णीत
128	पैरा 12(5)	अनिर्णीत

¼11½ vdk{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@2006 ls 03@2007

1	पैरा 3	अनिर्णीत
2	पैरा 4(i)	अनिर्णीत
3	पैरा 4(ii)	अनिर्णीत
4	पैरा 4(iii)	अनिर्णीत
5	पैरा 4(iv)	अनिर्णीत
6	पैरा 4(v)	अनिर्णीत
7	पैरा 4(vi)	अनिर्णीत
8	पैरा 4(vii)	अनिर्णीत
9	पैरा 4(viii)	अनिर्णीत
10	पैरा 4(ix)	अनिर्णीत
11	पैरा 4(x)	अनिर्णीत
12	पैरा 4(xi)	अनिर्णीत
13	पैरा 4(xii)	अनिर्णीत

14	पैरा 4(xiii)	अनिर्णीत
15	पैरा 5(i)	अनिर्णीत
16	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत
17	पैरा 5(iii)	अनिर्णीत
18	पैरा 5(iv)	अनिर्णीत
19	पैरा 5(v)	अनिर्णीत
20	पैरा 5(vi)	अनिर्णीत
21	पैरा 6(i)	अनिर्णीत
22	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत
23	पैरा 6(iii)	अनिर्णीत
24	पैरा 6(iv)	अनिर्णीत
25	पैरा 6(v)	अनिर्णीत
26	पैरा 6(vi)	अनिर्णीत
27	पैरा 6(vii)	अनिर्णीत
28	पैरा 6(viii)	अनिर्णीत
29	पैरा 6(ix)	अनिर्णीत
30	पैरा 6(x)	अनिर्णीत
31	पैरा 7(i)	अनिर्णीत
32	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत
33	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत
34	पैरा 7(iv)	अनिर्णीत
35	पैरा 7(v)	अनिर्णीत
36	पैरा 7(vi)	अनिर्णीत
37	पैरा 7(vii)	अनिर्णीत
38	पैरा 7(viii)	अनिर्णीत

39	पैरा 7(ix)	अनिर्णीत
40	पैरा 7(x)	अनिर्णीत
41	पैरा 7(xi)	अनिर्णीत
42	पैरा 7(xii)	अनिर्णीत
43	पैरा 7(xiii)	अनिर्णीत
44	पैरा 7(xiv)	अनिर्णीत
45	पैरा 7(xv)	अनिर्णीत
46	पैरा 7(xvi)	अनिर्णीत
47	पैरा 8(i)	अनिर्णीत
48	पैरा 8(ii)	अनिर्णीत
49	पैरा 8(iii)	अनिर्णीत
50	पैरा 8(iv)	अनिर्णीत
51	पैरा 8(v)	अनिर्णीत
52	पैरा 8(vi)	अनिर्णीत
53	पैरा 8(vii)	अनिर्णीत
54	पैरा 9	अनिर्णीत
55	पैरा 10	अनिर्णीत

¼12½ vdk{k.k ,o fujh{k.k ifrosnu vof/k 04@2007 ls 03@2009

1	पैरा 2(ख)(1)	अनिर्णीत
2	पैरा 2(ख)(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 2(ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 3(ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 3(ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 3(घ)	अनिर्णीत
7	पैरा 3(ङ)	अनिर्णीत
8	पैरा 3(च)	अनिर्णीत

9	पैरा 3(छ)	अनिर्णीत	
10	पैरा 3(ज)	अनिर्णीत	
11	पैरा 3(झ)	अनिर्णीत	
12	पैरा 4(क)	अनिर्णीत	
13	पैरा 4(ख)	अनिर्णीत	
14	पैरा 4(ग)(1)	अनिर्णीत	
15	पैरा 4(ग)(2)	निर्णीत	राषि ₹44,625/—की राषि दिनांक 27.10.09 के रसीद संख्याः 14/29 के द्वारा जमा करवा दी गई।
16	पैरा 4(घ)(1)	अनिर्णीत	
17	पैरा 4(घ)(2)	अनिर्णीत	
18	पैरा 4(घ)(3)	अनिर्णीत	
19	पैरा 4(ङ)(1)	अनिर्णीत	
20	पैरा 4(ङ)(2)	अनिर्णीत	
21	पैरा 4(ङ)(3)	अनिर्णीत	
22	पैरा 4(ङ)(4)	अनिर्णीत	
23	पैरा 4(च)(1)	अनिर्णीत	
24	पैरा 4(च)(2)	निर्णीत	अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया हैं
25	पैरा 4(च)(3)	अनिर्णीत	
26	पैरा 4(छ)(1)	अनिर्णीत	
27	पैरा 4(छ)(2)	अनिर्णीत	
28	पैरा 4(ज)(1)	निर्णीत	नगर परिषद कार्यालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त।
29	पैरा 4(ज)(2)	निर्णीत	राषि ₹100/—की वसूली रसीद संख्याः 95/27, दिनांक 15.09.11 के द्वारा वसूली गई।
30	पैरा 4(ज)(3)	अनिर्णीत	
31	पैरा 4(ज)(4)	अनिर्णीत	
32	पैरा 4(झ)	अनिर्णीत	

33	पैरा 4(ञ)	निर्णीत	शराब शुल्क की राशि ₹3,60,676/– वर्ष 2008–09 के लिए दिनांक 16.04.11 को जमा करवा दी गई।
34	पैरा 4(ज)	अनिर्णीत	
35	पैरा 5(क)	अनिर्णीत	
36	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत	
37	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत	
38	पैरा 5(घ)	निर्णीत	नगर परिषद द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त।
39	पैरा 6(क)	अनिर्णीत	
40	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत	
41	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत	
42	पैरा 6(घ)	अनिर्णीत	
43	पैरा 6(ङ)	निर्णीत	नगर परिषद कार्यालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त।
44	पैरा 6(च)	निर्णीत	नगर परिषद कार्यालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त।
45	पैरा 6(छ)(1)	अनिर्णीत	
46	पैरा 6(छ)(2)	अनिर्णीत	
47	पैरा 6(छ)(3)	अनिर्णीत	
48	पैरा 6(ज)(1)	अनिर्णीत	
49	पैरा 6(ज)(2)	अनिर्णीत	
50	पैरा 6(झ)	निर्णीत	अनुपालना कर ली गई है।
51	पैरा 6(ञ)	निर्णीत	नगर परिषद द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त।
52	पैरा 6(ट)	अनिर्णीत	
53	पैरा 6(ठ)(1)	निर्णीत	नगर परिषद कार्यालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त।
54	पैरा 6(ठ)(2)	निर्णीत	नगर परिषद कार्यालय द्वारा दिए गए

			स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त।
55	पैरा 6(ड)	निर्णीत	नगर परिषद कार्यालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त।
56	पैरा 6(ढ)(1)	अनिर्णीत	
57	पैरा 6(ढ)(2)	अनिर्णीत	
58	पैरा 6(ण)	निर्णीत	अभिलेख तैयार करके दिखा दिया गया।
59	पैरा 6(त)	निर्णीत	अभिलेख तैयार करके दिखा दिया गया।
60	पैरा 6(थ)	अनिर्णीत	
61	पैरा 6(द)	अनिर्णीत	
62	पैरा 6(ध)	अनिर्णीत	
63	पैरा 7(क)	अनिर्णीत	
64	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत	
65	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत	
66	पैरा 7(घ)	अनिर्णीत	
67	पैरा 7(ङ)	अनिर्णीत	
68	पैरा 7(च)(1)	अनिर्णीत	
69	पैरा 7(च)(2)	अनिर्णीत	
70	पैरा 7(च)(3)	अनिर्णीत	
71	पैरा 7(छ)	अनिर्णीत	
72	पैरा 7(ज)	अनिर्णीत	
73	पैरा 7(झ)	अनिर्णीत	
74	पैरा 7(ञ)	निर्णीत	राषि ₹32,488/—दिनांक 13.07.09 को बैंक में जमा करवा दिए गए।
75	पैरा 7(ट)	निर्णीत	राषि ₹2,588/—की राषि दिनांक 20.09.11 को रसीद संख्याः 95/96 के द्वारा जमा करवा दी गई।
76	पैरा 7(ठ)	अनिर्णीत	
77	पैरा 7(ड)	अनिर्णीत	
78	पैरा 7(ढ)	निर्णीत	भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया

			है।
79	पैरा 7(ण)	अनिर्णीत	
80	पैरा 7(त)	अनिर्णीत	
81	पैरा 7(थ)	निर्णीत	आपेक्षित अभिलेख तैयार करके दिखा दिया गया।
82	पैरा 7(द)(1)	अनिर्णीत	
83	पैरा 7(द)(2)	अनिर्णीत	
84	पैरा 7(द)(3)	अनिर्णीत	
85	पैरा 7(द)(4)	अनिर्णीत	
86	पैरा 7(ध)	अनिर्णीत	
87	पैरा 7(न)	अनिर्णीत	
88	पैरा 8(क)(1)	अनिर्णीत	
89	पैरा 8(क)(2)	अनिर्णीत	
90	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत	
91	पैरा 10(क)	अनिर्णीत	
92	पैरा 10(ख)	अनिर्णीत	
93	पैरा 10(ग)	अनिर्णीत	